

प्रेमक,

श्री अजीत गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र
प्रति विहार नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

संलग्नक: दिनांक: 14 नवम्बर, 1996

विषय:- मारिया असेम्बला कान्फेन्स स्कूल द डिवायल रोड डोकुराताल काशीपुर नैनीताल को सी०बी०एस० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु आपाति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मारिया असेम्बला कान्फेन्स स्कूल द डिवायल रोड डोकुराताल काशीपुर नैनीताल को सी०बी०एस० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपाति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वार्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा प्रशिक्षण/से/ विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोतिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वाइवलेन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था के अधिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों दिए नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त

असातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्त्र सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की सूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाश्रित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

अशोक मांगनी।
संयुक्त सचिव।

पु0सं0 3815411/15-7-1996 तदतिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त उच्च शिक्षा निदेशक बुसापूर् मंडल नैनीताल।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल।
- 4- निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्यक, माहिषा असेम्बली कान्वेन्ट स्कूल दड़ियाँ रोड छोकराताल काशीपुर नैनीताल।

आज्ञा है,

Signature

अशोक मांगनी।
संयुक्त सचिव।

Signature